संख्या-5/2021/बी-1-392 /दस-2021-16-94

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 26 मार्च, 2021

विषय: प्रशासकीय विभागों द्वारा 'बजट एलाटमेन्ट सिस्टम' के माध्यम से वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

दिनाँक 01 अप्रैल, 2021 से वित्त विभाग में समस्त कार्य ई-ऑफिस पर सम्पादित किये जायेंगे । इस क्रम में प्रशासकीय विभागों द्वारा बजट एलाटमेन्ट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2021-बी-1-347/दस- 2021-16-94, दिनाँक 10 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जानी होगी -

(1) आगामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 से वित्तीय स्वीकृतियों की प्रत्रावलियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को ई- ऑफिस के माध्यम से ही प्रेषित की जायें । इस हेतु प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें ।

(2) उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृतियों की प्रविष्टि ऑन लाईन बजट एलाटमेन्ट सिस्टम में करने हेतु प्रत्येक प्रशासकीय विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना है । यह कार्य दिनाँक 31 मार्च, 2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है । अतः जिन प्रशासकीय विभागों में अभी तक नोडल अधिकारी नामित नहीं किये गये हैं उनमें नोडल अधिकारी का नामांकन तत्काल कर लिया जाय ।

(3) समस्त नामित नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम पर निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों की प्रविष्टि के लिये उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपने यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड अविलम्ब प्राप्त कर लें ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में ऑन लाईन वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने में किसी भी प्रकार का अविलम्ब न हो ।

(4) सभी नामित नोडल अधिकारीगण अपने लॉगिन से जाकर यह सुनिश्चित कर लेगें कि उनके लॉगिन में वहीं विवरण प्रदर्शित हो रहा है, जो उन्होंने पंजीकरण फार्म में अंकित किया है । यदि इसमें किसी प्रकार का विचलन हो, तो वे इसे तत्काल संशोधित कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(5) यद्यपि वित्तीय स्वीकृतियाँ ऑन लाईन जारी करने के लिये नामित नोडल अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तथापि यदि इसके क्रियान्वयन में उनके द्वारा कोई कठिनाई अनुभव करने की दशा में वित्त विभाग में गठित हेल्प डेस्क, जिसका उल्लेख शासनादेश दिनाँक 10 मार्च, 2021 में किया गया है, से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कर सकते हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस हेल्प डेस्क के अधिकारी नवीन भवन स्थित वित्त विभाग के सभाकक्ष संख्या-84 (पारिजात) में उपलब्ध रहेंगे ।

(6) सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषागारों को बजट आवंटन भेजे जाने के सम्बन्ध में जारी वित्त विभाग के शासनादेश दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 तथा दिनाँक 26 फरवरी, 2013 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

(7) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021-बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनाँक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्त विभाग में वही प्रकरण सन्दर्भित किये जायें जिनपर वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित हो । जिन प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग के स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित हो (वित्त (लेखा) अनुभाग-1 व 2 के शासनादेश दिनांक 23.03.2021 के अनुसार संलग्नक-1 व 2) उनसे सम्बन्धित पत्रावलियाँ वित्त विभाग को सन्दर्भित न की जाय ।

(8) प्रशासकीय विभाग द्वारा ई-ऑफिस के माध्यम से पत्रावलियाँ अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त को प्रेषित न कर वित्त विभाग के सम्बन्धित व्यय-नियंत्रण अनुभागों (संलग्नक-3) को प्रेषित की जायेंगी।

(9) प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा जो प्रस्ताव वित्त विभाग में सहमति हेतु प्रेषित किये जाते हैं उनसे सम्बन्धित आलेख के लिये पत्रावली वित्त विभाग में अशासकीय पत्र संख्या (यू.ओ. संख्या) अंकित किये जाने हेतु पुनः प्रस्तुत की जाती है, जिससे कि प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होत है । अतः प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग में प्रस्ताव पर सहमति के साथ ही यथासम्भव सम्बन्धित आलेख को भी अशासकीय पत्र संख्या अंकन हेतु वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगे जिससे कि पत्रावली दोबारा वित्त विभाग में प्रेषित करने की स्थिति न उत्पन्न हो ।

केवल उन प्रकरणों में, जहाँ पत्रावली पर आलेख निर्गत करने से पूर्व किसी उच्च स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना हो, उनसे सम्बन्धित आलेख निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाद में प्रेषित किये जा सकते हैं ।

(10) केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्य सरकार को प्राप्त केन्द्रांश की स्थिति सम्बन्धित विभागों द्वारा budgetallot.up.nic.in पर देखी जा सकती हैं। अतः प्रशासकीय विभाग प्राप्त केन्द्रांश के सम्बन्ध में संतुष्ट होकर पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का समयबद्ध रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीया,

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक -1

संख्या-5/2021/ए-1- 209 /दस-2021-3/1(6)/65

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 23 मार्च, 2021

विषय - उत्तर प्रदेश शासन के विरूद्ध अवशेष दावों की पूर्व लेखा परीक्षा का कार्य महालेखाकार से हटाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-2923/दस-3/1(6)65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985, शासनादेश संख्या- ए-1-3959/दस-3/1(6)65, दिनांक 23 जनवरी, 1986, शासनादेश संख्या- ए-1-873/दस-88-3/1(6)65, दिनांक 8 अगस्त, 1988, एवं शासनादेश संख्या-ए-1-1162/दस-98 3/1(6)65, दिनांक 29 जुलाई, 1998, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-ए-1-2923/दस-3/1(6)65, दिनांक 18 सितम्बर, 1985, में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कालातीत यात्रा भत्ता दावों की पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति के लिए प्रशा0विभाग स्वयं सक्षम होगें किन्तु इसके उपरान्त भी प्रशा0विभाग द्वारा प्राय: कालातीत यात्रा भत्ता दावों की पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियां परामर्श हेतु वित्त विभाग को संदर्भित की जा रही है, जिसके कारण प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कालातीत अवशेष दावों की पूर्व सम्परीक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों का अपने स्तर पर परीक्षण कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि किसी बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक ही हो, तो उस बिन्दु विशेष का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की जाय।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5 / 2021/ ए-1- 209 (1) /दस-2021-3/1(6)/65 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- निदेशक ,कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक-2

संख्या-1 /ए-2-238 /दस- 2021-24 (8)/92

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय: अस्थायी पदों के स्थायीकरण एवं अस्थायी पदों की निरंतरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- ए-2-797/दस-87-24 (12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24 (8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक क्रमश: 25 मई, 1987 एवं 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा अस्थायी पदों के स्थायीकरण एवं अस्थायी पदों की निरंतरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रशा0विभाग को कतिपय शर्तों के अधीन अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं किन्तु इसके उपरान्त भी प्राय: प्रशा0विभागों द्वारा प्रश्नगत विषयों से संबंधित पत्रावलियॉं परामर्श हेतु वित्त विभाग को संदर्भित की जा रहीं हैं, जिसके कारण प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता हैं।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अस्थायी पदों के स्थायीकरण एवं अस्थायी पदों की निरंतरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक क्रमश: 25 मई, 1987 एवं 02 दिसम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकरण का अपने स्तर पर परीक्षण कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि किसी बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक ही हो, तो उस बिन्दु विशेष का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाय।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1/ए-2- 238 (1)/दस-2021- 24 (8)/92 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov..in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुलग्नक -3

वित्त विभाग के व्यय नियंत्रण अनुभागों के मध्य कार्य आवंटन

क्र0	अनु0 का नाम	अनुभाग से संबंधित कार्य
1	2	3
1	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–1	कृषि, रेशम, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, क्षेत्रीय विकास, भूमि विकास एवं जल संसाधन, दुग्ध मत्स्य पशुधन
2	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–2	ग्राम्य विकास, पंचायती राज, युवा कल्याण, लघु सिंचाई, भूगर्भ एवं ग्रामीण अभियन्त्रण, सहकारिता
3	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3	चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य व औषधि नियंत्रण
4	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–4	अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, समाज कल्याण (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग) समाज कल्याण (अनुसूचित जाति कल्याण) सैनिक कल्याण विभाग
5	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–5	कार्मिक, खेलकूद, राजस्व, विधान सभा/ परिषद, सचिवालय प्रशासन/सामान्य प्रशासन, धर्मार्थ कार्य, नियुक्ति, नियोजन, सार्वजनिक उद्यम
6	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–6	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, तथा खादी एवं ग्रामोद्योग गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
7	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–7	नागरिक उड्डयन, खाद्य एवं रसद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना, भाषा, पर्यटन, पर्यावरण, वन, संस्कृति
8	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–8	लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन
9	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–9	नगर विकास एव गरीबी उन्मूलन, आबकारी,परिवहन, प्राशासनिक सुधार, राष्ट्रीय एकीकरण, मनोरंजन कर, कर एवं निबन्धन
10	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–10	ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
11	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–11	शिक्षा–बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़ व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा
12	वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–12	गृह, कारागार, गोपन, सतर्कता, नागरिक सुरक्षा, राजनैतिक पेंशन, वीजा एवं अभियोजन न्याय एवं निर्वाचन